न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक   /2019 निगरानी

भारतसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत

निवासी–ग्राम रोहलखुर्द तहसील नागदा जिला उज्जैन

————आवेदक

विरूद्ध

1– भैरूसिंह पिता मोहनलाल

2– बलरामसिंह पिता भंवरसिंह

3– पुष्पेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीगण–ग्राम रोहलखुर्द

तहसील नागदा जिला उज्जैन ———अनावेदकगण

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 3/18–19 रिव्यू में पारित आदेश दिनांक 28/12/18 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्नलिखित कारणो के आधार पर पुनरिक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तु स्थिति को देखे व समझे बगैर उसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

4. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक का रिव्यू आवेदन पत्र बिना रिकार्ड देखे तथा अपने पूर्व के प्रकरण को बुलाये बगैर प्राथमिक दृष्टि में ही ग्राह्य योग्य नही मानकर निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने पूर्व के रिकार्ड को मंगवाकर जो कि न्यायालय में ही हैं तथा आवेदक द्वारा रिव्यू में उठाये गये वैधानिक बिन्दु पर विचार कर निष्कर्ष निकालना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर आवेदन निरस्त करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

Contd.....2

(164)

(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-169/2019/उज्जैन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कमल सिंह अंजना उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/12/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अत: यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	